मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना अव्यवहारिक, सुबह की धूप, 2 फरवरी 2015

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना

अव्यवहारिक

आलोका

झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार प्राय: नयी-नयी योजनाएं लागू करती रहती है। झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद विगत 14 वर्षों में राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गयीं। कई योजनाएं बहुत सफल भी हुईं। लेकिन दुखद बात यह है कि ऐसी योजनाएं आदिम जन जातियों को ध्यान में रख कर नहीं बनायी गयीं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के नाम पर शुरू की गयी योजनाओं में आदिम जनजातियों के लिए प्राथमिकताएं तय नहीं की गयीं। झारखंड गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना है। इस योजना को राज्य सरकार ने 15 नवंबर, 2011 को लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पुत्री के जन्म से समाज में फैलने वाली हीन भावना को खत्म करना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बच्चियों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, उनके विवाह में आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह प्रथा का अंत करना शामिल था। इस योजना की घोषणा के ठीक एक वर्ष पूर्व यानी 15 नवंबर, 2010 से शुरू भी कर दी गयी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 नवंबर, 2010 के दिन से जन्मे बच्चियों को इस योजना में शामिल करते हुए उन्हें लाभुक बनाना शुरू कर दिया गया। इस योजना में बालिकाओं को शामिल करने के लिए कई शर्तें / पात्रता तय की गयीं। इनमें यह नियम लागू किया गया कि बच्ची का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो और इसका प्रमणा पत्र उसके पास उपलब्ध हो। अधिकतम दो बच्चों के बाद दंपति द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया गया हो। इसका भी प्रमाण-पत्र उनके पास मौजूद हो, दूसरी पुत्री को योजना का लाभ दिलाने के लिए यह जरूरी होगा कि उनके माता-पिता नसबंदी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। योजना में बच्चियों को शामिल कराने के लिए यह भी शर्त्त तय की गयी कि जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य होगा। एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं होगा। प्रसव संस्थागत हो तथा जन्म प्रमाण-पत्र संबंधित अस्पताल तथा सक्षम पंचायत/ नगर निकाय से निर्गत हो। ऐसी कई शर्त्तों को पूरा करने और प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने वाले परिवार ही योजना में शामिल हो सकते है। योजना में शामिल होने वाली बच्चियों को मिलने वाले लाभ में कक्षा छह से 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने तक कुल चार बार बालिका को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। सातवीं में प्रवेश करने पर 2000, नवीं में प्रवेश करने पर 4000, 11 वीं में प्रवेश पर 7500 रुपये एकमुश्त भुगतान किये जाते हैं। 11 वीं व 12 वीं में उपरोक्त राशि के अलावा 200 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। बालिका की आयु 21 वर्ष होने तथा 12 वीं की परीक्षा में शामिल होने पर 1,08600 रुपये का अंतिम रूप से भुगतान किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त्त जोड़ा गया है कि यह भुगतान तब होगा जब बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ही हुई हो। जाहिर है कि इस योजना का स्वरूप और उद्देश्य बेहतर है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कई समुदायों के लिए यह योजना काफी बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन योजना की शर्त्तों को देखते हुए यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यह योजना आदिम जनजातियों को ध्यान में रख कर नहीं बनायी गयी है। आदिम जनजातियों के लिए

इस योजना की शर्त्तें व पात्रता पूरी करना बेहद कठिन है। जंगलों में जीवन यापन करने वाले अशिक्षित आदिम जनजातियां जैसे बिरहोर-बैगा आदि के लिए इतने तरह के प्रमाण-पत्र जुटाना काफी मुश्किल है। इन शर्त्तों को पूरा करने में बिरहोर समुदाय के लिए व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं। मसलन योजना में शामिल होने के लिए यह जरूरी करार दिया गया है कि बच्ची का जन्म संस्थागत प्रसव के तहत हुआ हो। यानी जिस बच्ची का जन्म किसी सरकारी या गैरसरकारी अस्पताल में हुआ हो और उसके माता-पिता के पास इसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो, तभी यह बच्ची इस योजना में शमिल हो सकती है। लेकिन बिरहोर समाज के लिए यह व्यवहारिक ही नहीं है। इस समाज के लोग जीवन यापन अपने तरीके से करते हैं। वे आमतौर पर प्रसव के लिए अस्पतालों में जाते ही नहीं हैं। ऐसे में उनके पास संस्थागत प्रसव का प्रमाण-पत्र कहां से उपलब्ध होगा। इसी तरह शर्त्तों में यह शामिल है कि बच्ची का जन्म प्रमाण-पत्र देना होगा। साथ ही योजना के लिए आवेदन जन्म के एक वर्ष के अंदर देना होगा। एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं होगा। बिरहोर या किसी भी आदिम जनजाति के लिए ये प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराना आसान नहीं है। हालांकि आदिम जनजाति और लक्ष्मी लाडली योजना में अंतरविरोध को सरकार ने

भी पहचाना है। ऐसे अंतरविरोध को सरकार ने दूर करने का प्रयास भी किया। फिर भी बिरहोर व अन्य आदिम जन जातियों के लिए यह काफी साबित नहीं हुआ। लक्ष्मी लाडली योजना के लागू होने के कई माह बाद राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि इस योजना का उद्देश्य परिवार नियोजन को सशक्त बनाना भी है। लेकिन यह उद्देश्य आदिम जनजातियों के मामले में उल्टा पड़ गया है। क्योंकि आदिम जन जातियों का संरक्षण व संवर्द्धन पहली शर्त्त है। ऐसे में उनके लिए परिवार नियोजन की शर्त्त उचित नहीं है। फिर सरकार ने 17 फरवरी, 2012 को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में जन्मी प्रथम या द्वितीय प्रसव से उत्पन्न बालिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत सुयोग्य लाभुक घोषित किया गया है, बशर्त्ते कि प्रसव संस्थागत हो। द्वितीय बालिका के लिए इस योजना की स्वीकृति देने हेतु यह शर्त्त रखी गयी है कि बालिका के माता-पिता के द्वारा बंध्याकरण (परिवार नियोजन) अपना लिया गया है। लेकिन समुचित विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि आदिम जनजाति समूह के आवदकों के मामले में परिवार नियोजन अपनाने की शर्त्त को शिथिल किया जाता है। मर्गदर्शिका की अन्य शर्त्तें/ निदेश यथावत् रहेंगे। बहरहाल, आदिम जनजातियों को ध्यान में रखे बगैर तैयार की गयी इस योजना से इस समुदाय के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पूरे झारखंड में आदिम जनजाति इस योजना के लाभ से वंचित हो रही हैं। पूरे झारखंड में अब तक कुछ गिने-चुने बिरहोर-बैगा जाति समूह की बालिकाएं इस योजना से लाभांवित हो पा रही हैं। ❑

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रामगढ़
राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर, गोला रोड, रामगढ़ कैंट

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

26 जनवरी 2015 गणतंत्र दिवस के शुभ-अवसर पर
रामगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

जिला शिक्षा अधीक्षक
-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
रामगढ़।

पत्रांक-SSA-R/15-16/47, दिनांक-23.01.15